यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी**द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** के माह **अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रदीप कुमार मौर्या,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,श्री अरूण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) एवं श्री शशांक वर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक **04/12/2018 से 06/12/2018** तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09/10/2017 से 13/10/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह जून 2012 से सितम्बर 2017 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(iii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी, वृत्त के अधीन स्थापित खंडो पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं निर्धारित वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करने तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी हैं। अधीक्षण अभियंता द्वारा ` 75.00 लाख से ` 1.50 करोड़ तक तथा ` 1.50 करोड़ से ऊपर के कार्यों की निविदाएँ मुख्य अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत स्वीकृत की जाती हैं। अधीक्षण अभियंता अधीनस्थ खंडो की कार्य प्रगति का अनुश्रवण कर उनकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए सामयिक कदम उठाने के लिए भी उत्तरदायी हैं। उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबन्धित विचलन (variation), एवं समय वृद्धि (Time extension),स्वीकृति का कार्य किया जाता है।

(iv) बजट

लेखा परीक्षित एकाई एक प्रशासनिक कार्यालय है जिसके द्वारा कार्यों पर सीधे कोई व्यय नहीं किया जाता है। एकाई द्वारा विगत तीन वर्षों में प्राप्त स्थापना बजट आबंटन एवं उसके सापेक्ष किए गए व्यय की वर्ष-वार स्थिति निम्नवत थी:

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष (`)	आवंटन (`)	योग(`)	व्यय (`)	अवशेष(`)
2015-16	2059-001-00-80-03	0	1,26,09,107	1,26,09,107	1,26,09,107	0
2016-17		0	1,20,75,526	1,20,75,526	1,20,75,526	0
2017-18		0	1,34,75,258	1,34,75,258	1,34,75,258	0
2018-19 (11/2018 तक)		0	1,09,85,964	1,09,85,964	1,04,68,672	0

(v) इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "C"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

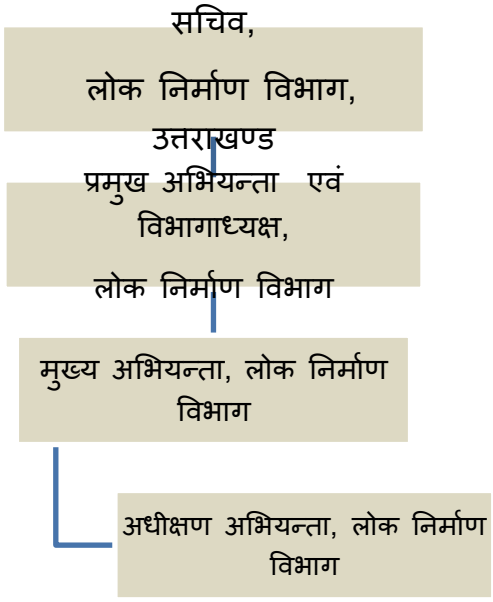

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी**,की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु माह अक्टूबर 2018 का चयन किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा-1, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रस्तर योगदान:
रणबीर सिंह, वरि.ले.प.अ.

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 1:-शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्यों का निरीक्षण न किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 4188/III(2)14-51 (सामान्य)/13 दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता को ₹2 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य का प्रत्येक दो माह में निरीक्षण किया जाना था तथा अपनी निरीक्षण आख्या को प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाना था।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया कि वृत्त कार्यालय में अधीक्षण अभियंता द्वारा संपादित किए गए निरीक्षण का कोई केद्रीकृत अभिलेख/रजिस्टर तथा निरीक्षण टिप्पणी व उनकी अनुपालन आख्या का विधिवत रख रखाव नहीं किया गया था जिससे कि अधीक्षण अभियंता द्वारा उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप किए गए निरीक्षणों का सही-सही आंकलन सम्भव होता।

लेखा परीक्षा द्वारा किए गए निरीक्षणों के संबंध में मागी गई सूचना के आधार पर पाया कि वृत्त के अंतर्गत कुल 07 कार्यकारी खंड है जिसमे लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ₹2 करोड़ से अधिक लागत के कुल 24 अनुबंध गठित थे तथा 13 माह के दौरान अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 47 निरीक्षण किए गए सूचित किए थे। हालांकि,वृत्त द्वारा उक्त 47 निरीक्षण के सापेक्ष मात्र 04 निरीक्षण की टिप्पणीयां उपलब्ध कराई जा सकी। अतः स्पष्ट है था कि अधीक्षण अभियंता द्वारा उपरोक्त शासनादेश के माध्यम से निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योंकि किए गए निरीक्षणों का वार्षिक औसत लगभग दो था जबकि यह औसत मासिक होना चाहिए था।

उत्तर में इकाई द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वृत्त कार्यालय में अधीक्षण अभियंता द्वारा संपादित किए गए निरीक्षण का केद्रीकृत अभिलेख/रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्यों का निरीक्षण न किए जाने का यह प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1.	11/2012-13	01	-	-
2.	47/2017-18	-	01,02	01
योग		01	02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरोंकी अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री एन.पी. सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	07/07/2016 से वर्तमान तक।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

लागू नहीं

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता,8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II